पत्र संख्या–6 / योजना–01–29 / 2014 गृ0आ0........................ /

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक मार्च, 2016

विषयः– **राज्य के जिला एवं अनुमंडल में 111 थानों के परिसर, 31 पुलिस लाईन, 20 बी0एम0पी0, एम0एम0पी0 एवं महिला बटालियन के परिसर में महिला सिपाहियों के लिए शौचालय एवं स्नानागार के निर्माण हेतु स्वीकृत चालू योजनान्तर्गत ₹ 870.475 लाख (आठ करोड़ सत्तर लाख सैंतालीस हजार पाँच सौ रू0) विमुक्त करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पत्रांक–879, दिनांक–25.02.2016 के संबंध में कहना है कि गृह (आरक्षी) विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या–1511, दिनांक–24.02.2014 द्वारा राज्य के जिला एवं अनुमंडल में 111 थानों के परिसर, 31 पुलिस लाईन, 20 बी0एम0पी0, एम0एम0पी0 एवं महिला बटालियन के परिसर में महिला सिपाहियों के लिए शौचालय एवं स्नानागार के निर्माण हेतु ₹ 2705.775 लाख (सताईस करोड़ पाँच लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ रू0) की प्रशासनिक स्वीकृति देतु हुए कुल ₹ 676.775 लाख (छह करोड़ सड़सठ लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ रू0) विमुक्त किया गया था। पुनः विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–10339, दिनांक–16.12.2014 द्वारा उक्त योजना के लिए ₹ 1000.00 लाख (दस करोड़ रू0) विमुक्त की गयी है। उक्त योजना के लिए शेष देय राशि ₹ 1029.00 लाख (दस करोड़ उनतीस लाख रू0) के विरूद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹ 870.475 लाख (आठ करोड़ सत्तर लाख सैंतालीस हजार पाँच सौ रू0) विमुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है।

2. उपर्युक्त विमुक्त राशि ₹ 870.475 लाख (आठ करोड़ सत्तर लाख सैंतालीस हजार पाँच सौ रू0) राज्य योजना की मांग संख्या–22 मुख्य शीर्ष–''4055–पुलिस पर पुंजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–051–निर्माण– उपशीर्ष–0101–पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण'' विपत्र कोड–P4055000510101 विषयशीर्ष–53 01–मुख्य निर्माण कार्य एवं राज्य योजना स्कीम कोड–HOM - 5420 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के बजट में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. भवनों का निर्माण कार्य बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है। अतः राशि निगम के पी0एल0 खाता में जमा किया जायेगा।

5. व्यय करने के पश्चात् विहित प्रपत्र में डी0सी0 विपत्र / उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को निश्चित रूप से भेजा जायेगा।

6. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहीत विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।

7. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को संलग्न किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0:–6 / योजना–01–29 / 2014 गृ0आ0..........1778.......... / पटना, दिनांक 4 मार्च, 2016

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना / पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना / अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना / आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव
3-3-16

6-yojana-01-29-2014 Old Plan